Jharkhand State Information Commission
झारखण्ड राज्य सूचना आयोग
Engineers Hostel No.-2, H.E.C.Campus
अभियंत्रण छात्रावास संख्या–2, एच0 ई0 सी0 परिसर
Dhurwa, Ranchi-834004
धुर्वा, रांची–834004
Telefax / ☎: 0651-2401426 / 2401418
Website: www.sicjharkhand.in

पत्रांक–रा.सू.आ. / मु.स्था.–71 / 2015 / ..... 12057 रांची, दिनांक – 31 / 05 / 2016

प्रेषक,

आदित्य स्वरूप, भा.प्र.से.(से.नि.)
मुख्य सूचना आयुक्त
झारखण्ड ,रॉची।

सेवा में,

सभी अपर मुख्य सचिव / सभी प्रधान सचिव / सभी सचिव / पुलिस महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक / सभी विभागाध्यक्ष / सभी प्रमंडलीय आयुक्त / सभी उपायुक्त / सभी पुलिस उप महानिरीक्षक / वरीय पुलिस अधीक्षक, राँची, धनबाद, जमशेदपुर / सभी पुलिस अधीक्षक, झारखण्ड सरकार।

विषयः–सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत राज्य के सभी प्रथम अपीलीय प्राधिकार को दिशा–निदेश परिचारित करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक संबंध में कहना है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19 (1) के अन्तर्गत प्रथम अपील दायर करने का प्रावधान है। सभी प्रथम अपीलीय प्राधिकार को आयोग के माध्यम से निम्नलिखित दिशा निदेश दिए जा रहे हैं–

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 में जन सूचना पदाधिकारी एवं प्रथम अपीलीय प्राधिकार की महत्वपूर्ण भूमिका है। जन सूचना पदाधिकारी से यह अपेक्षा की जाती है कि वे लगभग संपूर्ण सूचना आवेदक को उपलब्ध करा देंगे और यदि कुछ सूचनाएँ शेष रहती हैं, तो वे अधिनियम में प्रावधानित प्रथम अपीलीय प्राधिकार सुनवाई के कम में अपीलकर्ता को उपलब्ध करा देंगे, जिससे कि अपीलकर्ता को सूचना प्राप्त करने के लिये द्वितीय अपील दायर करने हेतु आयोग में न आना पडे।

प्रायः सुनवाई के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आये हैं कि प्रथम अपीलीय प्राधिकार द्वारा सूचना दिलाने के लिए कोई भी सार्थक प्रयास नहीं किया जाता है, फलस्वरूप अपीलकर्ता को जन सूचना पदाधिकारी से पूर्ण सूचना नहीं मिलने के कारण उन्हें आयोग में द्वितीय अपील दायर करना पड़ जाता है। इस प्रकार आयोग में दायर अपीलों की संख्या में निरन्तर बढ़ोतरी होती जा रही है।

प्रथम अपीलीय प्राधिकार को यदि अपील अभ्यावेदन प्राप्त होता है, तो उनके पास उसके निष्पादन हेतु कुल तीस दिन का अधिकतम समय ही अधिनियम में प्रावधानित है। यह श्रेयष्कर होगा कि वे अभ्यावेदन को अपने ही पास एक फोल्डर में रख लें और उसकी छायाप्रति ही कार्यालय में भेजें। प्रथम अपीलीय प्राधिकार एक अर्द्धन्यायिक प्रकिया के तहत कार्य करते हैं, अतः उन्हें एक अभिलेख संधारित कर प्रत्येक सुनवाई की तिथि को एक आदेश पारित करना चाहिए। इस तीस दिन की अवधि में उन्हें तीन सुनवाई तो अवश्य ही करनी चाहिए। अपील अभ्यावेदन जिस दिन प्राप्त हो तो, वे प्रयास करें कि उसी दिन अपीलकर्ता तथा जन सूचना पदाधिकारी को उनके

कार्यालय से अगली तिथि का निर्गत नोटिस जो लगभग दस दिनों के अंतराल पर हो, जिसके द्वारा अगली तिथि को उपस्थित होने की सूचना उभय पक्षों को अवश्य चली जाए।

दस दिनों के पश्चात् यदि अपीलकर्ता उपस्थित होते हैं, (अपीलकर्ता की उपस्थिति बाध्यकारी नहीं है) तो उनसे यह पूछ लिया जाये कि उन्हें सूचना माँगने के आवेदन पत्र की कौन सी कंडिका पर क्या आपत्ति है। यदि अपीलकर्ता नहीं आते हैं। तो यह निष्कर्ष नहीं निकाला जाये कि अपीलकर्ता प्राप्त सूचना से सन्तुष्ट हैं। प्रथम अपील दायर करना ही अपीलकर्ता की असन्तुष्टि व्यक्त करता है। उस दिन मूल सूचना माँगने के आवेदन पत्र की विभिन्न कंडिकाओं पर जन सूचना पदाधिकारी के समक्ष कंडिकावार आदेश प्रथम अपीलीय प्राधिकार द्वारा पारित करना अधिक लाभकारी होगा। इस आदेश में सूचना माँगने की प्रत्येक कंडिका की विवेचना की जाय और प्रथम अपीलीय प्राधिकार एक वरीय पदाधिकारी होने के नाते इस बात का विश्लेषण कंडिकावार करें कि जन सूचना पदाधिकारी द्वारा पूर्ण सूचना दी गई अथवा नहीं। यदि सूचना में कुछ कमी हो और वह सूचना अगर देय हो, तो उस सूचना को उपलब्ध कराने हेतु प्रथम अपीलीय प्राधिकार को आदेश पारित करना चाहिए। बीसवें दिन सुनवाई की दूसरी तिथि को प्रथम अपीलीय प्राधिकार यह देखें कि जो आदेश उन्होंने दस दिन पूर्व पारित किया था, उसके अनुपालन की स्थिति क्या है और वे जन सूचना पदाधिकारी से अनुपालन के पश्चात अपीलकर्ता को दी गई सूचना और उसकी पावती का विश्लेषण कर यह सुनिश्चित कर लें कि उनके द्वारा पूर्व में पारित आदेश का अनुपालन पूर्ण रूप से कर लिया गया है। तीसवें दिन तिथि निर्धारित कर इस अपीलवाद में उन्हें अंतिम ओदश पारित कर देना चाहिए।

सभी प्रथम अपीलीय प्राधिकार से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अर्द्धन्यायिक प्राकियाओं का अनुपालन करते हुए अपीलकर्ता को नियमानुसार देय संपूर्ण सूचनाएँ उपलब्ध कराने हेतु सार्थक कदम उठायेंगे और देखेंगे कि अपीलकर्ता को आयोग में द्वितीय अपील दायर करने की आवश्यकता न पड़ें।

अतः अनुरोध है कि उक्त दिशा–निदेश को अपने अधीनस्थ सभी प्रथम अपीलीय प्राधिकार को परिचारित करने की कृपा की जाए साथ ही सभी उपायुक्तों को निदेश है कि इस आदेश की प्रति अपने जिलान्तर्गत पदास्थापित सभी प्रथम अपीलीय प्राधिकार को उपलब्ध करा दें।

विश्वासभाजन

31/5/2016

(आदित्य स्वरूप, भा.प्र.से.(से.नि.))
मुख्य सूचना आयुक्त
झारखण्ड ,राँची।